Il-1962

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

समस्त प्रमुख शासन सचिव,
शासन सचिव,
विशिष्ठ शासन सचिव ।

क्रमांक प02(3)कार्मिक/क–2/91 जयपुर, दिनांक 17 अप्रेल,2006

परिपत्र

विषयः– मंत्रालयिक कर्मचारियों हेतु अधीनस्थ सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अभ्यांश के रिक्त पदों को नियमानुसार भरे जाने हेतु ।

राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों को उनके विभागों में उपलब्ध अधीनस्थ सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त करने का प्रावधान सम्बन्धित सेवा नियमों में किया हुआ है । राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि अधीनस्थ सेवा के इन पदों को मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों से नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे मंत्रालयिक कर्मचारियों में असन्तोष की स्थिति उत्पन्न होती है ।

विभिन्न अधीनस्थ सेवा नियमों में मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों को अधीनस्थ सेवा में नियुक्त करने संबंधी प्रावधान होने के बावजूद भी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा समय पर आवश्यक कार्यवाही नहीं करने को राज्य सरकार गम्भीर मानती है ।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों से निवेदन है कि जब भी विभिन्न अधीनस्थ सेवाओं के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही हो, उस समय इन सेवाओं में मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों हेतु निर्धारित अभ्यांश के पदों पर भी सम्बन्धित सेवा नियमों के प्रावधानानुसार नियुक्ति की कार्यवाही साथ साथ ही सम्पन्न की जावे । इसी क्रम में मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों हेतु अधीनस्थ सेवाओं में निर्धारित अभ्यांश के जिन पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना हो, उनके लिये भी नियमानुसार वांछित प्रक्रिया अपनाते हुये आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें । आयोग को अर्थना भेजते समय मंत्रालयिक कर्मचारियों के चयन हेतु अभ्यांश भी अंकित किया जाए ।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित) ।
2. शासन सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
4. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. रक्षित पत्रावली ।